बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
संयुक्त सचिव:- * राजेन्द्र राम
* राजयचन्द्र वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :.........69.................

दिनांक ...13/12/2012....

सेवा में

प्रधान सचिव
वित्त विभाग, बिहार ,पटना।

विषय:– 01.01.2006 एवं इस तिथि के पूर्व नियुक्त बि॰प्र॰से॰ के 01.01.2006 को चार वर्ष से कम सेवा अवधि के पदाधिकारियों का PB-2 ग्रेड पे–5400 में वित्त विभाग के संकल्प संख्या–630 दिनांक–21.01.2010 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर गलत संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 43वीं से 45वीं बैच के पदाधिकारियों की सेवा में योगदान की तिथि 01.01.2006 के पूर्व की है तथा 01.01.2006 को इन सभी बैच के पदाधिकारियों की सेवा अवधि 4 वर्ष से कम थी। पूर्व में इन सभी बैच के पदाधिकारियों का वेतन पूर्जा **PB-2** ग्रेड पे–5400 में वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 630 दिनांक–21.01.2010 की कंडिका–7 के आलोक में निर्गत किया गया था (निर्गत वेतन पूर्जा की छायाप्रति संलग्न)।

पुनः इन सभी बैच के पदाधिकारियों को संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है जिसमें इनके वेतन का निर्धारण **PB-2** में 01.01.2006 को इनके द्वारा पुराने वेतनमान में प्राप्त किए जा रहे वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा कर ग्रेड पे 5400 जोड़कर निर्गत किया जा रहा है जो कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 630 दिनांक–21.01.2010 की कंडिका–7 में वर्णित प्रक्रिया के विरुद्ध है क्योंकि इस प्रकार वेतन निर्धारित करने से न केवल अपने से कनीय 46 वीं बैच के बि॰प्र॰से॰ के पदाधिकारियों से इनका वेतन कम निर्धारित हो रहा है वरन् सरकार के द्वारा बि॰प्र॰से॰ को अन्य प्रीमियर राज्य सेवा के साथ दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से 8000–13500 का प्रवेश वेतनमान स्वीकृत किए गए निर्णय की भी अवहेलना हो रही है (निर्गत वेतन पूर्जों की छायाप्रति तथा बिहार गजट संख्या–12 दिनांक–20.01.09 की प्रति संलग्न)।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध होगा कि संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने में अपनाई जा रही इस गलत प्रक्रिया को तत्काल रोकने का आदेश दिया जाय तथा उपर वर्णित त्रुटियों को अविलम्ब दूर किया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सुशील कुमार
महासचिव

ज्ञापांक– 69 पटना, दिनांक– 13 / 12 / 2012

प्रतिलिपि:– सम्पादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी /अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सुशील कुमार 13/12/12
महासचिव